फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत— अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम श्री किशनलाल दीपी पुत्र बनवारी लाल

किस्म मुकदमा— FSSA 2006 नं. 12 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप.। गैरसायल स्वंय उप.। गैरसायल ने जवाब पेश किया। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30/6/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
30.6.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने केडिया हास्पिटल के पास चिड़ावा, झुन्झुनू में मै0 किशन साग रोटा के नाम से दुकान कर रखी है जहां वह साग रोटा बनाता है। अनावेदक ने बताया कि वह बाजार से सब्जी, मसाले व तेल बाजार से खरीद कर साग रोटा बनाता है। इस[illegible] कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) [illegible] हस्तगत प्रकरण प्रक[illegible] खाद्य विश्लेषक [illegible] जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./347/ [illegible] 2022 के अनुसा[illegible] खाद्य पदार्थ साग रोटा (गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, मसाले, सोयाबीन तेल से निर्मित) सब–स्टेण्डर्ड **(Sub-Standard)** पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 किशन साग रोटा में साग रोटा (गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, मसाले, सोयाबीन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:56:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तेल से निर्मित) स्वयं तैयार करता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ साग रोटा (गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, मसाले, सोयाबीन तेल से निर्मित) के सब–स्टेण्ड (**Sub-Standard**) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री किशन लाल छीपी पुत्र श्री बनवारी लाल, मै० किशन साग रोटा, केडिया हास्पिटल के पास चिड़ावा, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 2000/– दो हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:56:13 IST
Reason: SelfAttested